संख्या- 129 /2026 /956 /चार-2026-1996580

प्रेषक,

मनोज कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0
जवाहर भवन, लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊ : दिनांक: 30 मार्च, 2026**

विषय :- वित्तीय वर्ष-2025-26 में 14-वृंदावन शोध संस्थान, वृंदावन के भवन का जीर्णोद्धार हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि आवंटित कराये जाने के साथ प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 4612/सं०नि०-6(20)/2024-25 दिनांक 25 मार्च, 2026 तथा वृन्दावन शोध संस्थान, वृंदावन, मथुरा के पत्र संख्या-VI/नव-निर्माण/वृ0शो0सं0/2025-26/1078 दिनांक 10 मार्च, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा वृन्दावन शोध संस्थान, मथुरा के शोधाश्रम में भोजन हॉल, रसोई एवं स्टोर के निर्माण कार्य हेतु रू0 125.37 लाख का विस्तृत आगणन कार्यदायी संस्था-यू0पी0पी0सी0एल0 द्वारा तैयार कर उपलब्ध कराया गया है।

2. अवगत कराना है कि दिनांक 13.03.2026 को सम्पन्न स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में प्रश्नगत परियोजना हेतु आगणित धनराशि रू0 125.37 लाख के सापेक्ष रू0 122.39 लाख पर संस्तुति प्रदान की गयी है।

3. उपर्युक्त के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न विवरण के अनुसार सुसंगत मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराने के साथ-साथ वृन्दावन शोध संस्थान, वृंदावन, मथुरा के शोधाश्रम में भोजन हॉल, रसोई एवं स्टोर के निर्माण कार्य हेतु **रू0 122.39 लाख (रूपये एक करोड़ बाईस लाख उनतालीस हजार मात्र)** की **प्रशासकीय** स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में **रू0 51.00 लाख (रू0 इक्यावन लाख मात्र)** की **वित्तीय** स्वीकृति प्रदान करते हुए, निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

शर्तें/ प्रतिबंध :-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) वित्त विभाग के शासनादेश सं0-01/2023/ए-2-60/दस- 2023-17(4)/75, दिनांक 17 मई, 2023 के अनुसार परियोजना की वित्तीय स्वीकृति व प्रथम किश्त मूल्यांकित लागत पर जारी की जाये, किन्तु द्वितीय किश्त जारी करने से पूर्व परियोजना की लागत को निविदा में प्राप्त मूल्य (टेण्डर कॉस्ट) के अनुसार विहित प्रक्रिया का पालन करते हुए पुनरीक्षित करा लिया जायेगा। परियोजना की अनुवर्ती किश्तें पुनरीक्षित लागत के आधार पर ही जारी की जायें ताकि कार्यदायी संस्था को कार्य की वास्तविक लागत से अधिक धनराशि अवमुक्त न हो सके। यदि निविदा के बाद कार्यों की लागत में कमी आती है तो बचत की धनराशि को सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत राजकोष में जमा किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृति संस्कृति निदेशालय / कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व संस्कृति निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के संबंध में वित्त विभाग के मितव्ययिता संबंधी आदेशों तथा व्यय पर नियंत्रण के संबंध में निर्गत शासनादेशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(5) कार्यदायी संस्था द्वारा जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी से अब तक हुये कार्य की हस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण-पत्र की प्रति शासन एवं संस्कृति निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व संस्कृति निदेशालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(7) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/ मद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/ मद हेतु किया जायेगा।

(8) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

(9) बचत की धनराशि संस्कृति निदेशालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(10) जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका सदुपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(11) जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।

(12) संस्कृति निदेशालय द्वारा आवश्यकतानुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जायेगा। चालू वित्तीय वर्ष में प्राविधानित /स्वीकृत धनराशि का उपयोग हो जाने के पश्चात ही इस धनराशि का आहरण किया जायेगा/ धनराशि आहरित करके बैंक/पोस्ट आफिस में जमा नहीं की जायेगी ।

(14) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबन्ध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि स्वीकृत मदों में व्यय की जायेंगी, अन्य मदों पर व्यय हेतु कदापि उपयोग नहीं की जायेगी। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

(15) धनराशि आहरित कर कार्यदायी संस्था-यू0पी0पी0सी0एल0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

4. अत: इस संबंध में होने वाला व्यय **धनराशि रू0 51.00 लाख (रू0 इक्यावन लाख मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष-2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 092-लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-04-कला एवं संस्कृति - 800-अय व्यय-14-वृन्दावन शोध संस्थान, वृन्दावन के भवन का जीर्णोद्धार-24-वृहद निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक-27-मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, मथुरा।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० प्रयागराज।
5- निदेशक, वृंदावन शोध संस्थान, वृंदावन, मथुरा।
6- परियोजना प्रबंधक, यू०पी० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि०, निर्माण इकाई- 32, अलीगढ़।
7- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ०प्र० शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनोज कुमार
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

बी एम-9 (भाग - 1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)
A004-20252026-956-Reapp VRI

विषय:- 14- वृंदावन शोध संस्थान, वृंदावन के भवन का जीर्णोद्धार हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि आवंटित कराये जाने

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	4202048001300 (जनपद आजमगढ के हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय की स्थापना)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	1,10,00,000 रुपये एक करोड़ दस लाख मात्र	1,10,00,000 रुपये एक करोड़ दस लाख मात्र	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	60,00,000 रुपये साठ लाख मात्र	2025-2026
कुल					₹ 50,00,000	₹ 50,00,000		

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान / विनियोग	वित्तीय वर्ष
092	4202048001400 (वृन्दावन शोध संस्थान , वृन्दावन के भवन का जीर्णोद्धार)	24 (वृहत् निर्माण कार्य)	1,00,000 रुपये एक लाख मात्र	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	51,00,000 रुपये इक्यावन लाख मात्र	2025-2026
कुल				₹ 50,00,000	₹ 50,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-
1- उपलब्ध बचत का कारण:- आवश्यकतानुसार व्यय के उपरान्त बचत हो रही है।
2- अनुदान के सापेक्ष अधिक व्यय :- वास्तविक आंकलन के अनुसार अतिरिक्त धनराशि की मांग की जा रही है।
3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उ0 प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबंधों / परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-745-E-7-322-X-2025-26-दिनांक: 27-03-2026

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

उमा द्विवेदी
विशेष सचिव

मंजीत सिंह
अनु सचिव

संख्या- 129/2026 /956 (1) /चार-2026-1996580 तद्दिनांक ।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
6- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से
मनोज कुमार
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।